नाम न्यायालय : – सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट आमेर मु० जयपुर

फर्द अहकाम न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक आमेर मु० जयपुर

फैसला बनाम [illegible]

केस संख्या : 74/2025

केस संख्या			विशेष विवरण
	15/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। अन्यपक्ष आ.तो. पेशी पर बहस करे। पत्रावली दिनांक 17/10/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	
	17/10/2025	पत्रावली प्रस्तुत। व.फ.उप.। अन्य पक्ष की बहस सुनी गयी। प्रस्तुत तर्को, दस्तावेजो के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष मे प्रतीत होती है अतः दिनांक 20/8/25 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर, मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

प्रार्थना पत्र संख्या– 74/2025 प्रार्थना पत्र दर्ज दिनांक 20.06.2025

1. फैजल खां पुत्र रूस्तम खां जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23 जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर।
2. फिरोज खा पुत्र रूस्तम खां जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23 जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर।
3. बिसमिल्ला खां पत्नी रूस्तम खापिता रूस्तम खां जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23 जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर।
4. महरून निशा पुत्री रूस्तम खां जाति पठान निवासी प्लाट न. 22. 23 जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर।
5. अमजद खां पुत्र रूस्तम खां जाति पठान निवासी प्लाट न. 22, 23 जसवन्तनगर खातीपुरा रोड जयपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. गजानन्द पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम लालचंदपुरा तहसील जयपुर।
2. पवन पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव लालचंदपुरा तहसील जयपुर।
3 रवि कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव लालचंदपुरा तहसील जयपुर।
4. राजेश कुमार पुत्र सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी गांव लालचंदपुरा तहसील जयपुर।
5. मुन्नी देवी पत्नी सीताराम जाति ब्राहमण निवासी ग्राम लालचन्दपुरा तहसील जयपुर
6. उपपंजीयक जालसू तहसील जालसू जिला जयपुरं राजस्थान।
7. तहसीलदार तहसील जालसू जिला जयपुर राजस्थान।

......अप्रार्थीगण

अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री भगवान सहाय शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से
(2) श्री के.आर. शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2,3,4 की ओर से

निर्णय दिनांक 17.10.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत हस्त[illegible] पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थी ने उपरोक्त उनवानी वाद भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का माननीय न्यायालय के समक्ष सुदृढ एवं ठोस तथ्यो पर प्रस्तुत कर दिया है जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण आशा है। वाके ग्राम रायथल, पटवार हल्का रायथल, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा, तहसील जालसू जिला जयपुर स्थित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के अनुसार आराजी खाता संख्या 141 में वर्णित खसरा नम्बर 352/1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 94 रकबा 2.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

1. 7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 11.1000 हैक्टेयर, कुल किता 5 कुल 16 रकबा 16.4400 हैक्टयर भूमि के प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 रेकार्डेड खातेदार सहकाश्तकार है। वादपत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि विवादग्रस्त है, जिसे वादपत्र के अन्य मदो में भूमि विवादग्रस्त से संबोधित किया जायेगा। वादपत्र के मद संख्या 1 में अंकित विवादग्रस्त भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2076 से 2076 के खाता संख्या 141 के अनुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्यां 1 लगायत 5 की कब्जे काश्त की सहकाश्तकारी की अविभाजित कृषि भूमि है परन्तु प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य विवादग्रस्त आराजी का आज तक बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तकासमा विधिवत नही हुआ हैं, जबकि प्रार्थीगण मौके पर अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। दिनांक 08.06.2025 को कुछ अजनबी व्यक्ति वादग्रस्त भूमि पर आकर खरीद फरोख्त की बातचीत करने लगे जिस पर प्रार्थी संख्या 5 ने उनसे पूछा तब अजनबी व्यक्तियों ने कहा कि हम अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 से भूमि विवादग्रस्त को कय कर रहे है। उक्त परिस्थितियों से स्पष्ट है कि अप्रार्थीगण विवादग्रस्त भूमि व उसके विशिष्ठ भू–भाग बेचान करने पर आमादा है, जिस पर प्रार्थीगण ने उन्हे मना किया कि उक्त भूमि का विभाजन नही हुआ है, इसलिए जब तक उक्त भूमि का विभाजन नही हो जाता है, तब तक आप उक्त भूमि के किसी भी विशिष्ठ भू भाग का बेचान नही कर सकते है, जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को ऐलानिया धमकी दी की हम जैसे चाहेगे वैसे भूमि का बेचान करेगे आप हमे नही रोक सकते है। उक्त परिस्थिति मे प्रार्थीगण के लिये भूमि विवादग्रस्त का विधिवत् विभाजन करवाना तथा अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी अधिकारी है कि वह विवादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से का विधिवत मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन न्यायालय से करवा लेवे व अलग से अपना खाता व लगान तय करा कर राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि विभाजन के अनुरूप करा लेवे। प्रार्थीगण अपने कब्जेकाश्त व हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व हिस्से की भूमि पर किसी प्रकार के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे और ना ही प्रार्थीगण को उसके कब्जे काश्त की व हिस्से की भूमि से बेदखल करे तथा भूमि विवादग्रस्त का विधिवत् विभाजन होने तक अप्रार्थीगण वादग्रस्त भूमि या उसके किसी विशिष्ठ विक्रय हस्तानान्तरण नही करें और नही प्रार्थीगण के कब्जेकाश्त मे दखलअन्दाजी करें। उक्त कार्य ना तो स्वयं करें ना ही अपने परिवारजन एजेन्ट, सर्वेन्ट आदि से करवायें। इसलिए अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना कानूनन आवश्यक है। अप्रार्थीगण द्वारा विवादग्रस्त भूमि का बिना विभाजन करवाये बिना बेचान हस्तानान्तरण या विशिष्ठ भू–भाग का बेचान हस्तान्तरण कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नही हो सकेगी। उपरोक्त मदो से प्रथम दृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है। अतः अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

अप्रार्थीगण को वाद के अंतिम निर्णय तक इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावे।

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिए अधिवक्ता अंतर्गत धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को विधिवत रजि0ए0डी0 नोटिस जारी किए गए जिन्हें बाद तामील शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी संख्या–2. 3, 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या–1 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। प्रार्थी को वाद पत्र में सफलता कामना करना मात्र मृगतृष्णा के समान है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–2 स्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वाके ग्राम रायथल पटवार हलका रायथल भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र जयसिंहपुरा तहसील जालसु जिला जयपुर में स्थित आराजी कृषि भमि खसरा नम्बर 352/1420 रकबा 1.0500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर रकबा 2.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 97 रकबा 0.0100 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 98 रकबा 1.7500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 99 रकबा 11.1000 हैक्टेयर कुल किता 5 कुल रकबा 16.4400 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 प्रत्येक का हिस्सा 139/4110 राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज व अमल है। जिसे किसी प्रकार से वादग्रस्त भमि नही कहा जा सकता। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–3 अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात भूमि को वादग्रस्त भूमि नहीं कहा जा सकता है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–4 अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय मनबट के है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थी द्वारा उपरोक्त वर्णित अराजियात को आधार पर विभाजन कर रखा है। उत्तरदाता का भूमि बेचान ईरादा नही है। मिट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर विधिवत विभाजन किया जाता है तो उत्तरदाता को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी पत्र की मद संख्या 5 स्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात का विभाजन मौके पर कब्जे काश्त को ध्यान में रखते हुये मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिवत विभाजन किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग किया जाता है तो उत्तरदातागण को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–6 जिस तरह से लिखी गई है कतई स्वीकार नहीं है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात का जब तक विधिवत रूप से विभाजन नही हो जाता है तथा एवं अप्रार्थीगण को मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने के लिये आदेश किया जाना आवश्यक है। अन्य तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करें। उपरोक्त वर्णित अराजियात भूमि पर उत्तरदातागण ने मनबट के आधार पर प्राप्त भूमि को विकसित कर रखा है एवं बोरिंग पानी का होद, जानवरों को बांधने के नोरे, स्वयं के रहने के लिये मकान एवं पेड़–पौधे, फलों के वृक्ष, आदि लगा रखे है और खेत के चारों तरफ तार बाउण्डी मेड बना रखी है। इस प्रकार उत्तरदाता द्वारा उक्त अराजियात में निहित लाखों रूपये खर्च कर विकसित किया गया है। इसी आधार पर विभाजन किया जाता है तो उत्तरदाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 16:08:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर, जयपुर

को कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–7 अस्वीकार है। यहां यह उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वर्णित अराजियात भूमि का प्रार्थी एवं उत्तरदातागण द्वारा मौखिक विभाजन कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि का बेचान करते है तो उत्तरदातागण को भी अपूरणीय क्षति कारित होगी। इसलिये विशिष्ठ भू–भाग का बेचान करने का अधिकार किसी पक्षकार को नहीं है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या–8 अस्वीकार है यहां यह उल्लेखनीय है कि सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी उत्तरदाता के पक्ष में बखूबी साबित है इसलिये प्रार्थीगण को पाबंध किया जाना आवश्यक है।

हमने पत्रावली, संलग्न दस्तावेजात् व उभयपक्षीय बहस का अवलोकन व मनन किया। सुसंगत न्यायिक प्रावधानों से मार्गदर्शन प्राप्त किया। उपरोक्त उनवानी प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का है। जिसमें प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू को देखा जाना है। वाद बंटवारे का है तथा संयुक्त अविवाजित आराजी है यदि अप्रार्थीगण अप्राथीगण द्वारा बेचान, खुद–फुर्द किया जाता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति भी हो सकती है। अतः ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी के संरक्षण हेतू मूल वाद के निर्णय तक वादग्रस्त आराजी की स्थिति यथावत रखा जाना आवश्यक होता है। जहां तीनो बिंदुओ में से एक भी बिंदु साबित होता है तो अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना आवश्यक है। अतः प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित है। यद्यपि मूलवाद का निस्तारण उभपक्षकारान को विस्तृत रूप से सुना जाकर तथा साक्ष्यों के दृष्टिगत किया जाना है जो कि हस्तगत प्रार्थना पत्र के हाल निर्णय से किसी भी रूप में तथा किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं है, परन्तु प्रस्तुत तथ्यों, तर्कों व दस्तावेजो के अनुसार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रथम दृष्टया तथ्यों के दृष्टिगत मात्र प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दिनांक 26.06.2025 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को मूलवाद के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2026.01.16 15:08:39 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर